FINAL REPORT 5041//2022

IN THE COURT OF

Spl.Chief Judicial Magistrate AT ,Meerut

अनुभव सिंह बनाम अमीन उर्फ श्यामलाल राठी

अपराध संख्या 537 / 2021

धारा 306, भा0दं0सं0

थाना मवाना जिला मेरठ।

एफ आर नम्बर 101 / 2022

दिनांक 24.04.2025

आज यह पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत की गयी। वादी मुकदमा अनुभव सिंह की ओर से प्रोटेस्ट पैटीशन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी मुकदमा ने प्रकरण में प्रोटेस्ट पैटीशन प्रस्तुत कर विवेचक पर आरोप लगाया है कि विवेचक द्वारा अभियुक्त से सांठ गांठ कर मामले में अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है। वादी की ओर से इस प्रकरण में अनुभव सिंह, श्रीमती सुषमा, श्रीमती ज्योति एंव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्रो के अवलोकन से विदित है कि शपथ कर्ता द्वारा अपन शपथ पत्रो में कथन किया गया है कि विरेन्द्र सिंह ने भूमि विकास बैक मवाना से ऋण ले रखा था, फसल के सही न होने तथा कोरोना की वजह से वह बैक ऋण जमा नही कर पाये जिस कारण अमीन श्यामलाल ऋण जमा करने को लेकर वीरेन्द्र सिंह को बेईज्जत व जलील किया करता था। वीरेन्द्र सिंह से दस दस हजार रूपये की धनराशि ले जाकर अवैध वसूली करते थे जिसकी कोई रसीद भी नही दी जाती थी। श्यामलाल व उसके साथी की अवैघ वसूली से वीरेन्द्र सिंह मानसिक रूप से परेशान रहते थे। अमीन श्यामलाल राठी व उसके साथी गुज्जर की मानसिक प्रताडना के कारण दिनांक 16.11.2021 को उसके पिता ने रात के समय जहरीला पदार्थ खाकर आत्म हत्या कर ली है। इसकी बाबत उसकी ओर से थाना मवाना पर मुकदमा कायम कराया गया था। उसके द्वारा स्व0 वीरेन्द्र सिंह द्वारा लिखी डायरी व अन्य प्रपत्र विवेचक को उपलब्ध करा दिये गये थे। परन्तु विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रपत्रो को नजर अन्दाज करते हुए तथा अभियुक्त से सांठ गांठ करते हुए गलत तथ्यो के अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है। वादी की ओर से निवेदन किया गया कि उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्रो के आधार पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या को निरस्त करते हुए प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाये।

न्यायालय ने वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली एंव शपथ पत्रो का अवलोकन किया।

वादी की ओर से विपक्षी राठी अमीन पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा वादी के पिता को बैक ऋण की किश्त जमा नही करने पर उसे जलील किया जाता था तथा उसके पिता से कई बार दस दस हजार रूपये लिये जाने के पश्चात भी उसे जलील किया गया।

प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की गयी है जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अन्तिम आख्या में यह तथ्य अंकित किया गया है कि मृतक विरेन्द्र सिंह द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण लिया गया था विरेन्द्र सिंह का बेटा अनुभव बेरोजगार है गलत संगत में पड गया है विरेन्द्र सिंह ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर तथा भूमि विकास बैक के ऋण से परेशान होकर आत्महत्या करना पाया गया है शव का पोस्टमार्टम नही कराया गया है बिना किसी को सूचना दिये अन्तिम संस्कार किया गया है वादी द्वारा धटना स्थल की सही जानकारी नही दी गयी है। वादी द्वारा मृतक के हस्तलेख मे लिखित एक डायरी में सुसाईड नोट व एक छोटी डायरी उपलब्ध करायी थी वादी से मृतक के हस्तलेख में लिखित अन्य कागजात प्राप्त करने को कहा गया तो वादी अन्य मृतक के हस्तलेख में अन्य कोई भी कागजात कापी व डयारी बार बार कहने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करा पाया जिससे मृतक वीरेन्द्र सिंह के हस्तलेख का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कागजात कम होने के कारण नही हो सका और वादी द्वारा अमीन की जाति गुर्जर बतायी गयी है जब कि नामित श्यामलाल राठी की जाति जाट होना पाया गया। उपरोक्त समस्त आधार पर मामले में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है।

स्पष्ट है कि वादी मुकदमा पुलिस की विवेचना से सन्तुष्ट नही है ऐसे में मामले को न्यायालय द्वारा स्वयं अन्वेषण किया जाना न्यायोचित एंव तर्क संगत प्रतीत होता है। अतः मामले के समस्त तथ्य व अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पैटीशन परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव तर्क संगत प्रतीत होता है।

अपराध संख्या 537/2021 धारा 306 भा.द.स. थाना मवाना जिला मेरठ में प्रस्तुत अन्तिम आख्या 101/2022 स्वीकार की जाती है। प्रार्थी के प्रोटेस्ट पेटीशन को बतौर परिवाद वाद दर्ज किया जाये। पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को वास्ते बयान 200 दं0प्र0सं0 पेश हो।

(दुर्गेश नन्दनी)
विशेष मुख्य न्यायिक मजि0
मेरठ